


81

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

II/निगरानी/ 2017/ रीवा/ 3486



1. गीता देवी उम्र 49 वर्ष पत्नी स्व0 महेन्द्र कुमार उ०
2. संजीव कुमार उम्र 29 वर्ष तनय स्व0 महेन्द्र कुमार गुप्ता
3. विकास कुमार गुप्ता उम्र 24 वर्ष तनय स्व0 महेन्द्र कुमार गुप्ता

P-301

निवासीगण ग्राम गढ़ हाल मुकाम ग्राम पुर्वा-310 तहसील मनगवां जिला

रीवा (म0प्र0)

---आवेदकगण

विरुद्ध

प्रसाद गुप्ता तनय अयोध्या प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम पुर्वा-310

तहसील मनगवां जिला रीवा (म0प्र0)

2. विपिन कुमार गुप्ता तनय सौखीलाल गुप्ता
3. विनोद कुमार गुप्ता तनय सौखीलाल गुप्ता

दोनों निवासी ग्राम मढ़ी कला तहसील मनगवां जिला रीवा (म0प्र0)

----अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व
संहिता 1959ई0 विरुद्ध आदेश अपर कमिश्नर
रीवा संभाग रीवा म0प्र0 दिनांक 05.07.17 जो
अपील प्रकरण क्रमांक 1112/अपील/2015-16
मे पारित।

मान्यवर,

निगरानी से संबंधित तथ्य:-

अ. मूल आराजी नं- 196 के बटांक आराजी नं-196/1/1 रकवा 0.020हे0,

प्रबे० क्र० 2 सप्तम
कुमार गुप्ता दाता
केस/ 23-9-17

कलक ऑफ कोर्टकेदार
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

संजीव कुमार
23/9/17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक 111/मिम.12017/3486

जिला-रतना

पक्षकार का नाम

(1)	(2)	(3)
27.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2-आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	